eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F.No. A-12018/10/2012-Ad.-IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.(AD.-IIB)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 250.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (श्रेणी 'ग') भर्ती नियम, 1993 को, जहां तक उनका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन), भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन	08 (आठ)* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के समूह 'ग' कर्मचारीवृंद में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (18000-56900/-रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अभिलेख विभाग में पांच वर्ष के अनुभव सहित सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान से चिकित्सा अभिलेख प्रशिक्षण प्रमाणपत्र या डिप्लोमा सम्मिलित है । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000- 56900/- रु.) के पद पर पदधारण करते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र; और (ii) किसी सरकारी अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा अभिलेख विभाग में पांच वर्ष का अनुभव ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति या पुष्टि समिति: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी उपनिदेशक - सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए.11018/1/2001-आरआर]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th August, 2019

G.S.R. 250.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Grade 'C') Recruitment Rules, 1993, in so far they relate to the post of Medical Record Technician, in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Medical Record Technician, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Medical Record Technician), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Record Technician	8 (Eight)* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level-4 in the pay matrix (25500-81100)	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation(including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Group 'C' staff of Lady Hardinge Medical College with eight years regular service in level 1 (Rs. 18000 – 56900) in the pay matrix which includes five years experience in Medical Record Department in Lady Hardinge Medical College with Medical records training certificate or Diploma from government recognized hospital or institute. Deputation(including short term contract): Officers of the Central Government or State government or Union Territories or Universities or recognised research institutions or public sector Undertakings or semi-government or Statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the Level 1 (Rs.18000 - 56900) in the pay matrix with eight years regular service in the grade; and (b) Possessing the following educational qualification and experience : (i) Diploma or Certificate in Medical Record Technician from a recognised University or Institution and (ii) Five years experience in Medical Records Department in a Government Hospital or Institute.	**Department promotion or Confirmation Committee:** 1.Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2.Deputy Director in-charge of Medical Education department in Directorate General of Health Services -Member; 3.Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/1/2001-RR]

G.P. SAMANTA, Under Secy.